संख्या-45/22/97-पी. और पी.डब्लू.(सी.)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी-कल्याण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 11, 2001

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः-सेवारत रहने के दौरान मृत्यु हो जाने या निःशक्तता से ग्रस्त हो जाने के मामलों में विशेष प्रसुविधाएँ - निःशक्तता-पेंशन/कुटुम्ब-पेंशन का भुगतान - पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिशें ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 03.02.2000 के समसंख्यक कार्यालय-ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है । उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन के पैरा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि 1996 से पहले के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब-पेंशनभोगियों के पिछले मामले इस विभाग के दिनांक 27.10.97 के कार्यालय-ज्ञापन के अनुसार संशोधित किए जाएँ और इस तरह परिकलित समेकित पेंशन, इस विभाग के दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय-ज्ञापन में किए गए प्रावधानों के भी अधीन रहे ।

2. साधारण पेंशनभोगियों/कुटुम्ब-पेंशनभोगियों को संस्वीकृत की गईं प्रसुविधाओं की तर्ज़ पर, पहले के पेंशनभोगियों और केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम/उदारीकृत पेंशन से संबद्ध पुरस्कार-योजना के अंतर्गत आने वाले मौजूदा पेंशनभोगियों के बीच संशोधित समानता क़ायम किए जाने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन चला आ रहा है । अब यह तय किया गया है कि 1996 से पहले के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब-पेंशनभोगियों के मामलों में पेंशन/कुटुम्ब-पेंशन निम्नानुसार संशोधित की जाएः-

(क) 1996 से पहले के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब-पेंशनभोगियों के पिछले मामले, इस विभाग के दिनांक 27.10.1997 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 45/86/97-पी. और पी.डब्लू. (ए) (खंड-II) के अनुसार संशोधित किए जाएँ जैसा कि अब तक किया जाता रहा है तथा इस कार्यालय-ज्ञापन के प्रावधानों के आधार पर संशोधित पेंशन परिकलित कर ली जाए ।

(ख) इस विभाग के दिनांक 10.02.1998 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 45/86/97-पी. और पी.डब्लू. (ए) (खंड-III) के अनुसार देय प्रसुविधाएं, इन श्रेणियों के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब-पेंशनभोगियों के मामले में भी दी जाएँ । दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार कर्मचारी को देय वेतन, बाद के वेतन-आयोग आदि की सिफ़ारिशों के अनुसार देय वेतन तक अद्यतन किया जाए तथा दिनांक 10.02.1998 के कार्यालय-ज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसा वेतन

....2/-

Receipts & Issue
14 DEC
ISSUED
हस्ताक्षर/Sig

01.01.1986 को मौजूद स्थिति के अनुसार यह मानते हुए सैद्धांतिक आधार पर नियत किया जाए कि वह उस दिन सेवारत था । इस तरह सैद्धांतिक आधार पर नियत परिलब्धियों के आधार पर, देय पेंशन/कुटुम्ब-पेंशन अब, असाधारण पेंशनभोगी/कुटुम्ब-पेंशनभोगी की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में लागू दरों से, परिकलित की जाए और 01.01.1996 को मौजूद स्थिति के अनुसार, पेंशन नियत करने की दृष्टि से सामान्य प्रक्रिया अपनाकर उसे आगे और समेकित किया जाए ।

(ग) 01.01.1996 को मौजूद स्थिति के अनुसार, पेंशन/कुटुम्ब-पेंशन निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर भी परिकलित की जाएः-

I. श्रेणी 'ख' तथा 'ग' के संबंध में कुटुम्ब-पेंशन

(क) जहाँ दिवंगत सरकारी कर्मचारी, पेंशनी पद धारण नहीं किए हुए रहा हो, वहाँ न्यूनतम 1650/-रूपए की शर्त के अधीन, सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन की 40% ।

(ख) जहाँ दिवंगत सरकारी कर्मचारी पेंशनी पद धारण किए हुए रहा हो, वहाँ न्यूनतम 2500/-रूपए की शर्त के अधीन, सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन की 60% ।

जिन मामलों में किसी विधवा का देहांत हो जाए अथवा वह पुनर्विवाह कर ले उनमें बच्चों को उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में दर्शाई गई दर में से लागू दर पर, कुटुम्ब-पेंशन दी जाए और कुटुम्ब-पेंशन की वही दर पितृहीन/मातृहीन बच्चों के संबंध में भी लागू की जाए । उपर्युक्त दोनों ही मामलों में बच्चों को कुटुम्ब-पेंशन उसी अवधि के संबंध में दी जाए जिसके दौरान वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के अनुसार कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने के पात्र रहे होते । कर्मचारी पर आश्रित उसके माता-पिता/भाइयों/बहनों आदि को कुटुम्ब-पेंशन, विधवाओं/पितृहीन/मातृहीन बच्चों के संबंध में लागू कुटुम्ब-पेंशन दर की आधी दर पर दी जाए ।

II. श्रेणी 'घ' और 'ङ' के अंतर्गत कुटुम्ब-पेंशन

कुटुम्ब-पेंशन, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के रूप में परिकलित की जाए ।

(क) यदि सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित नहीं हो परन्तु उसका बच्चा/उसके बच्चे ही जीवित हो/हों तो सभी बच्चे एक साथ, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के 60% की दर पर कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने के पात्र ठहराए जाएँ, जो कम से कम 2500/- रूपए हो ।

.....3/-

(ख) जब सरकारी कर्मचारी अविवाहित अथवा निःसंतान विधुर के रूप में दिवंगत हो जाए तो सरकारी कर्मचारी के आश्रित को देय कुटुम्ब-पेंशन, उसके माता और पिता दोनों के ही जीवित होने की स्थिति में, उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ नज़रअंदाज़ करके कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के 75% की दर पर देय होगी तथा उनमें से एक ही के जीवित होने पर यह पेंशन उपर्युक्त न्यूनतम मूल वेतन के 60% की दर पर देय होगी ।

III 'ख' और 'ग' श्रेणी के संबंध में निःशक्तता-पेंशन

(क) 100% निःशक्तता के संबंध में, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50% के रूप में परिकलित उसकी पूरी निःशक्तता-पेंशन, उपर्युक्त पेंशन की दृष्टि से कर्मचारी द्वारा, अपेक्षित अर्हक सेवा नहीं किए जाने पर, आनुपातिक रूप से कम कर दी जाए तथा उसके बाद उसमें न्यूनतम मूल वेतन के 30% के बराबर निःशक्तता-पेंशन जोड़ दी जाए ।

(ख) निःशक्तता की अपेक्षाकृत कम प्रतिशतता के संबंध में, निःशक्तता-पेंशन, दिनांक 03.02.2000 के कार्यालय-ज्ञापन में उल्लिखित तरीक़े से आनुपातिक रूप से कम कर दी जाए ।

IV श्रेणी 'घ' के संबंध में निःशक्तता-पेंशन

(क) 100% निःशक्तता के संबंध में, निःशक्तता-पेंशन में, कर्मचारी की मानी हुई सेवानिवृत्ति की तारीख़ तक, उसके द्वारा की जाने वाली सेवा के अपेक्षित पूर्ण अर्हक सेवा से कम पड़ जाने की स्थिति में, आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाना अपेक्षित, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के 50% के बराबर सेवा-अंश और उपर्युक्त न्यूनतम मूल वेतन के 30% के बराबर निःशक्तता-अंश समाविष्ट किया जाए, परंतु उपर्युक्त सेवा-अंश और निःशक्तता-अंश का योग, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू, संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के 80% से कम नहीं हो ।

(ख) निःशक्तता की अपेक्षाकृत कम प्रतिशतता के संबंध में, निःशक्तता-पेंशन दिनांक 03.02.2000 के कार्यालय-ज्ञापन में उल्लिखित तरीक़े से आनुपातिक रूप से कम कर दी जाए ।

.....4/-

V **'ङ' श्रेणी के अंतर्गत मामलों के संबंध में निःशक्तता-पेंशन**

(क) 100% निःशक्तता के संबंध में निःशक्तता पेंशन में, कर्मचारी की मानी हुई सेवानिवृत्ति की तारीख़ तक, उसके द्वारा की जाने वाली सेवा के अपेक्षित पूर्ण अर्हक सेवा से कम पड़ जाने की स्थिति में आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाना अपेक्षित, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के 50% के बराबर सेवा-अंश; और उपर्युक्त मूल वेतन के बराबर निःशक्तता-अंश समाविष्ट किया जाए, परंतु उपर्युक्त सेवा-अंश और निःशक्तता-अंश का योग, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के, 01.01.1996 से लागू, संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन से अधिक नहीं हो ।

(ख) निःशक्तता की अपेक्षाकृत कम प्रतिशतता के संबंध में, निःशक्तता-पेंशन, दिनांक 03.02.2000 के कार्यालय-ज्ञापन में उल्लिखित तरीक़े से आनुपातिक रूप से कम कर दी जाए ।

3. उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) में दर्शाए गए तरीक़े से संशोधित पेंशन/कुटुम्ब-पेंशन परिकलित कर लिए जाने के पश्चात् तीनों तरीक़ों से परिकलित पेंशन/कुटुम्ब-पेंशन में से सर्वाधिक बैठने वाली पेंशन/कुटुम्ब पेंशन, 01.01.1996 से संशोधित पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाए ।

4. दिनांक 03.02.2000 के कार्यालय-ज्ञापन में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत् बनी रहेंगी ।

5. यह वित्त-मंत्रालय, व्यय-विभाग की दिनांक 26.06.2001 की अशासकीय टिप्पणी संख्या-355/ई.V/2001 द्वारा संसूचित सहमति से जारी किया जा रहा है ।

6. जहाँ तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा-विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, यह आदेश, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जा रहा है ।

सुजीत दत्ता

(सुजीत दत्ता)
निदेशक (पेंशनभोगी-कल्याण-विभाग)

सेवा में,

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का कार्यालय (200 प्रतियाँ) ।
3. लेखा-महानियंत्रक/रक्षा-लेखा-महानियंत्रक (200 प्रतियाँ)
   (मानक डाक सूची के अनुसार) ।